न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	06/2016
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2012/01276
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	11.03.2016
निर्णय दिनांक	22.02.2021

उनवान

(1)श्री गणराजसिंह पि.किशनसिंह राजपूत वगैरह नि.पाण्डरू तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थी /प्रार्थीगण

बनाम

(1) श्री गिरधारीसिंह पि.उदयसिंह राजपूत वगैरह नि.पाण्डरू तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– अप्रार्थी /अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण	श्री दौलतराज नागोड़ा
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	पैरोकार सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

आदेश

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावें। कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
पाण्डरू	2069-72	25	1150	0.57

(2) प्रार्थी / प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में आने-जाने हेतु अप्रार्थी / अप्रार्थीगणों की निम्न भूमि में से रास्ता चाहते है –

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	भौगोलिक स्थिति
पाण्डरू	1155	0.26	
	1151	0.13	

(3) प्रार्थी/प्रार्थीगणों की आराजियात में आने-जाने का उक्त एक मात्र [illegible] व निकटतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाज[illegible] हेतु नहीं है। आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है।

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी / [illegible]गण को जरिये नोटिस [illegible] किया गया। सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी स[illegible] 1 से 4 के नाम की विवि[illegible] से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश किये गये है। तहसीलदार आसीन्द की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.09.2020 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:28:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

(5) वकील प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर बहस वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण का कथन था कि प्रार्थी/प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने-जाने हेतु रास्ता नियमानुसार प्रतिकर के आधार पर दर्ज रेकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी/प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही निकटतम रास्ता है। तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

(6) तहसीलदार आसीन्द ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि आवेदक ने आ.नं.1155 में से रास्ता मांगा है किन्तु अप्रार्थी ने आ.नं.1155 में सम्परिवर्तन करा मकान बना लिया है इसलिये प्रतिवादी के अन्य आराजी नम्बर 1152 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

(7) बहस वकील प्रार्थीगण पर मनन किया। रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता तहसीलदार आसीन्द की रिपोर्ट के अनुसार सम्परिवर्तित आराजी नम्बर 1155 में चाहा जाने एंव आवेदित रास्ता निकटतम नहीं होने से तदनुसार प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि –

क्रियात्मक – आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण आवेदित रास्ता सम्परिवर्तित भूमि में से चाहे जाने एंव निकटतम रास्ता नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा
(सी.एल.शर्मा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:28:46 IST
Reason: SelfAttested